न्यायालयः— अनूप सिंह, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, XIII, बिहारशरीफ, नालंदा।

A.B.P. No. 1477/2026

दीपनगर थाना कांड सं0 38/2024

अंतर्गत धाराः— 147, 148, 149, 341, 307, 504, 323 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स अधिनियम

नीरज कुमार (आवेदक/अभियुक्त) बनाम बिहार सरकार

14.08.2026 आवेदक/अभियुक्त नीरज कुमार की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है, जो दीपनगर थाना कांड सं0 38/2024 धारा **147, 148, 149, 341, 307, 504, 323 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स अधिनियम** से उत्पन्न हुआ है, जो कि विद्वान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, बिहारशरीफ के न्यायालय में लंबित है।

संक्षेप में सूचक नीतीश कुमार का फर्द बयान में कथन है कि दिनांक 27.01.2024 समय करीब एक बजे दोपहर में जब वे अपने दोस्त सूरज कुमार के साथ खंधा में खेत देखने गये तो देखे कि मेरे खेत से सटे पईन में सतेन्द्र पासवान, अमित कुमार, मनीष कुमार, प्रमोद कुमार, नीरज कुमार, सुबोध कुमार, मिथलेश कुमार एवं 6—7 अन्य व्यक्ति खा पी रहे हैं एवं मोबाइल से साइबर ठगी का कार्य कर रहे हैं। सूचक द्वारा उन लोगों को वहां से जाने के कहने पर वे लोग गाली गलौज करने लगे। मनीष कुमार, अमित कुमार पिस्तौल लिये हुये थे। मनीष कुमार ने जान मारने की नीयत से गोली सूचक पर चला दिया जो गोली उसके सिर के पीछे लग गया तथा वे जख्मी होकर गिर गये। अमित कुमार ने सूरज कुमार पर फायर किया, लेकिन गोली नहीं लगा।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक निर्दोष है, उनके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। उनका यह भी कथन है कि आवेदक द्वारा वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन के अलावे इस न्यायालय में या किसी वरीय न्यायालय में कोई जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया गया है। इस वाद में धारा 307 भा0द0वि0 एवं 27 शस्त्र अधिनियम को छोड़कर शेष सभी धाराएं जमानतीय है। उपरोक्त दोनों धारायें इनके विरूद्व लागू नहीं होता है। गोली फायर करने का आरोप आवेदक/अभियुक्त के विरूद्व नहीं लगाया गया है। इन के विरूद्व सिर्फ सामान्य एवं बहुप्रयोज्य आरोप लगाया गया है। इस वाद के अन्य सह अभियुक्त सतेन्द्र पासवान को अग्रिम जमानत आवेदन सं0 587/2025 दिनांक 13.05.2025 से इसी न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जा चुका है एवं आवेदक के विरूद्व लगाया गया आरोप समान किस्म का है। इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अतः आवेदक को अग्रिम जमानत पर छोड़ने की कृपा की जाय।

न्यायालयः— अनूप सिंह, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, XIII, बिहारशरीफ, नालंदा।

A.B.P. No. 1477/2026

दीपनगर थाना कांड सं0 38/2024

अंतर्गत धाराः— 147, 148, 149, 341, 307, 504, 323 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स अधिनियम

नीरज कुमार (आवेदक/अभियुक्त) बनाम बिहार सरकार

विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

उभय पक्षों को सुना। अभिलेख एवं कांड दैनिकी का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि पारा 121 तक उपलब्ध करायी गयी अद्यतन काण्ड दैनिकी के पैरा 08 में जख्मी सह सूचक नीतीश कुमार एवं वाद दैनिकी की पैरा 11 में साक्षी सूरज कुमार का बयान अंकित है जिसमें इनके द्वारा कथन किया गया है कि मनीष कुमार एवं अमित कुमार के द्वारा अपने पास से पिस्टल निकाल कर जान मारने की धमकी देते हुये गोली चला दिये जिससे सूचक के सिर पर लगा और वह जख्मी होकर गिर गये। काण्ड दैनिकी के पैरा 55 में नीतीश कुमार का जख्म प्रतिवेदन का वर्णन है जिसमें उनका जख्म I Wound over RT. Side of parietal region e size 2cm x 0.5cm x 1cm deep scalp is intact.

II. Lacerated wound over Lt. Side of parietal region Approx size 3 cm x 0.5 cm x 1 cm in deep scalp is intact.

<u>Radiological opinion.</u>

1.NCCT Head- Pt id- 2401270042 dated 27-01-2024.

finding- No obvious detecatable abnormality in brain as reported by Dr. MD Nazrol Haque MD. Radiologist. BMIMS

2. X-ray skull ------- XPNo 24002370 Dated 27-01-2024

finding- No fracture seen.

as Reported by Dr. Gaurav Patnayak SR Radiology dept., BMIMS, Pawapuri.

MOI- Hard & blunt object.

Nature of injury- Simple in nature. पाया है। उपलब्ध सम्पूर्ण काण्ड दैनिकी के अवलोकन से विदित होता है कि सूरज कुमार का कोई जख्म प्रतिवेदन नहीं है, न ही उनको जख्मी होने का कथन साक्षियों द्वारा किया गया है। आवेदक के विरूद्ध फायर करने का कोई सीधा आरोप नहीं लगाया गया है एवं न ही मारपीट कर जख्मी करने का कोई आरोप है। इनके विरूद्ध सिर्फ सामान्य

न्यायालयः— अनूप सिंह, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, XIII, बिहारशरीफ, नालंदा।

A.B.P. No. 1477/2026

दीपनगर थाना कांड सं0 38/2024

अंतर्गत धाराः— 147, 148, 149, 341, 307, 504, 323 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स अधिनियम

नीरज कुमार (आवेदक/अभियुक्त) बनाम बिहार सरकार

एवं बहुप्रयोज्य आरोप लगाया गया है। जमानत आवेदन के पैरा 3 के अनुसार इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इस वाद के अन्य सह अभियुक्त सतेन्द्र पासवान को अग्रिम जमानत आवेदन सं0 587/2025 दिनांक 13.05.2025 से इसी न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जा चुका है एवं आवेदक के विरूद्व लगाया गया आरोप समान किस्म का है।

अतः आदेश दिया जाता है कि आज की तिथि से चार सप्ताह के अंदर आवेदक द्वारा निम्न न्यायालय में आत्म समर्पण करने पर या पुलिस द्वारा हिरासत में लिये जाने पर अंडरटेकिंग के साथ धारा 482 (2) बी0एन0एस0 में विहित शर्तों का पालन करते हुए **दस हजार रुपए (10,000X2)** या उसी समतुल्य राशि के दो प्रतिभू के साथ बंध पत्र दाखिल करने पर अग्रिम जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है। आवेदक विचारण में सहयोग करेंगे तथा किसी भी साक्षीगण को न तो डरायेंगे एवं न ही धमकायेंगे।

(लेखापित)

(अनूप सिंह)
डी0ए0एस0जे0, XIII
बिहारशरीफ, नालंदा।

न्यायालयः— अनूप सिंह, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, XIII, बिहारशरीफ, नालंदा।

A.B.P. No. 1477/2026

दीपनगर थाना कांड सं0 38/2024

अंतर्गत धाराः— 147, 148, 149, 341, 307, 504, 323 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स अधिनियम

नीरज कुमार (आवेदक/अभियुक्त) बनाम बिहार सरकार